



# राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141-2705498, 5110377

वेबसाइट :- www.rajssa.nic.in

फैक्स न: 0141-2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./वेतन मद कार्यवाही/2017-18/13211

दिनांक : 8/2/18

जिला शिक्षा अधिकारी-प्रा.शि.,  
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
सर्व शिक्षा अभियान,  
समस्त जिले।

## स्टैण्डिंग निर्देश पत्र

विषय :- एसएसए के नियमित शिक्षकों के वेतन पर प्रतिमाह होने वाले व्यय को अध्यापकों की श्रेणीवार विभक्त करते हुये सूचना उपलब्ध कराना तथा अध्यापकों की संख्या उपलब्ध कराने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत नियमित शिक्षकों को वेतन का भुगतान आईएफएमएस के द्वारा किया जाकर मासिक व्यय की सूचना उपलब्ध करवायी जाती है किन्तु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शगुन पोर्टल पर वेतन मद में किये गये व्यय की सूचना त्रैमासिक निम्नानुसार चाही जा रही है:-

1. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन पर व्यय एवं अध्यापकों की संख्या।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन पर व्यय एवं अध्यापकों की संख्या।
3. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर व्यय एवं प्रधानाध्यापकों की संख्या।

अतः आपको इस स्टैण्डिंग निर्देश पत्र से निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा एवं आपके अधीनस्थ ब्लॉक पर नियुक्त अधिकृत डीडीओ (वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी) से जिसके द्वारा वेतन मद में वेतन आहरित करके व्यय किया जाता है, उक्तानुसार व्यय को विभक्त करते हुये व्यय की त्रैमासिक सूचना उक्तानुसार इकजाई करके भिजवाना सुनिश्चित करें। यह अत्यावश्यक है। एमएचआरडी, नई दिल्ली द्वारा उक्तानुसार वांछनीय सूचना परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण भिजवाया जाना असंभव है। चूंकि आईएफएमएस के माध्यम से वेतन आदि का कार्य निदेशालय बीकानेर के निर्देशन एवं नियंत्रण में जिलों में आप द्वारा सम्पादित किया जाता है।

कृपया मेल जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा स्वयं देखें तथा प्रत्येक त्रैमास व्यय की सूचना उक्तानुसार ही भेजें तथा उक्त सूचना ईमेल (rajssa\_pfe@yahoo.co.in) पर अपने अधिनस्थ ब्लॉक पर नियुक्त अधिकृत डीडीओ के हस्ताक्षर से ही जिले की सूचना सम्पूर्ण ब्लॉक की इकजाई भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट :- 31 दिसम्बर 2017 को समाप्त हुई III क्वाटर की उक्त सूचना उक्तानुसार अविलम्ब भिजवाएँ।

  
(सुरेश चन्द्र)

अतिरिक्त आयुक्त  
दिनांक :- 8/2/18

क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./वेतन मद कार्यवाही/2017-18/13212  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त जिलों को पाबन्द करने का श्रम करें।
3. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. नियंत्रक वित्त महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नियंत्रक वित्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान समस्त जिले को भेजकर लेख है कि आप जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं ब्लॉक पर नियुक्त अधिकृत डीडीओ से व्यक्तिशः सम्पर्क करके समय पर उक्तानुसार सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित प्रभारी अधिकारी/कार्मिक..... शगुन पोर्टल, राप्राशिप, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

  
(बृजमोहन नागिया)  
उपायुक्त (औ० शि०)